

राजस्थान सरकार
वित्त (मार्गापाय) विभाग

क्रमांक प. 15(5) विमा/2012

जयपुर, दिनांक 02 जुलाई 2018

आदेश

विषय:— राजकीय विभागों, स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और राजकीय कम्पनियों के पी.डी. खाते व बैंकों में निधियों की जमा एवं निवेश (Deposits and Investments) से संबंधित निर्देश।

राजकीय विभागों द्वारा योजना क्रियान्वयन और राजकीय उपक्रमों, कम्पनियों, बोर्ड, विश्वविद्यालयों, अनुदानित संस्थाओं, निकायों, राज्य सरकार पर वित्तीय दृष्टि से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निर्भर संस्थाओं आदि की निधियों के जमा एवं निवेश (Deposits and Investments) के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.02.1995 एवं समय-समय पर अनुदेश जारी किये गये हैं। ऐसे समस्त आदेशों और संशोधनों के अतिक्रमण में विभिन्न विभागों, संस्थाओं, निकायों एवं राजकीय उपक्रमों की निधियों के जमा/विनियोजन के लिए निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है—

- (1) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान, ऋण, राजकीय राशि अथवा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज्य/भारत सरकार से प्राप्त राशि को ब्याज रहित पी.डी खाते में ही जमा रखी जावे एवं इसका अन्यत्र विनियोजन अनुमत नहीं है।
- (2) नित्यप्रति के उपयोग के लिए अपेक्षित निधियां कोष/उप कोष में पी.डी. खाते (बिना ब्याज) में रखी जावेगी।
- (3) स्थानीय निकाय, स्वायत्तशासी संस्थाएँ और राजकीय कम्पनियों द्वारा स्वयं की अर्जित आय में से अधिशेष निधियां राज्य सरकार के पास कोष/उप कोष में ब्याज अर्जित करने वाले निक्षेप के रूप में रखी जावेगी।
- (4) भारत सरकार की योजनाओं के दिशा निर्देशों में अनिवार्यता/वैधानिक आवश्यकता होने पर राशि का विनियोजन/जमा, वित्त विभाग द्वारा अनुमत बैंक खाते (Account) में किया जा सकेगा। यह खाता वाणिज्यिक/ग्रामीण/सहकारी बैंकों में खोला जा सकेगा।

उक्त प्रक्रिया के सुचारु संचालन हेतु पीडी खातों/बैंक खातों के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश निम्नानुसार हैं:—

1. ऑनलाईन नवीन पी.डी. खाता खोलने की प्रक्रिया

वित्त (मार्गोपाय) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.15(15)वि.मा./2011-पार्ट-II दिनांक 05.09.2017 के अनुसार नवीन पी.डी. खाता खोलने हेतु संबंधित विभाग/संस्था/निगम द्वारा अपने प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा के साथ पत्रावली पर निम्नांकित सूचनाओं सहित प्रस्ताव वित्त (मार्गोपाय) विभाग को प्रेषित किए जावेंगे:-

- (i) नवीन पी.डी. खाते का नाम
- (ii) विभाग/संस्था/निगम का नाम एवं पूर्ण पता
- (iii) पी.डी. खाते का प्रकार-ब्याज रहित/ब्याज सहित
- (iv) पी.डी. खाता खोलने का उद्देश्य
- (v) कोषालय/उप कोषालय का नाम जहां पी.डी. खाता खुलवाया जाना है
- (vi) पी.डी. खाते को संचालित करने वाले अधिकारी का पदनाम
- (vii) पी.डी. खाते संचालन की प्रकृति (एकल/संयुक्त) एवं यदि आहरण की कोई सीमा रखी जानी है तो उसका विवरण
- (viii) पी.डी. खाता खुलवाने वाले संस्था/निगम का विधिक Status - किस अधिनियम/नियम/निर्देश के अन्तर्गत गठित/पंजीकृत किया गया है। गठन/पंजीकरण की प्रति संलग्न करें।
- (ix) पी.डी. खाता धारक के आय के स्रोत एवं Fund Flow Mechanism

विभागीय प्रस्ताव का परीक्षण उपरान्त वित्त (मार्गोपाय) विभाग द्वारा ऑनलाईन पी.डी. खाता खोला जावेगा। विभाग/संस्था/स्वायतशासी संस्था का ऑनलाईन पी.डी. खाता खोले जाने पर संबंधित द्वारा कोषालय/उपकोषालय से सम्पर्क कर आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण की जावेगी। संबंधित कोषालय द्वारा वित्त (मार्गोपाय) विभाग की ऑनलाईन स्वीकृति के अनुसार ही पी.डी. मॉड्यूल पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

गैर अनुदानित निजी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अंशदायी प्रावधायी निधि की राशि हेतु संबंधित कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर पी.डी. खाता खोला जावेगा।

2. पी.डी. खाते में संशोधन

विद्यमान पी.डी. खातों में किसी प्रकार के संशोधन किए जाने के संबंध में विभाग/संस्था/निगम द्वारा अपने प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से पत्रावली पर

पूर्ण औचित्य सहित ही भिजवाए जावेंगे तथा वित्त (मार्गोपाय) विभाग द्वारा प्रस्तावानुसार परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही कर ऑनलाईन संशोधन की स्वीकृति जारी की जावेगी।

3. पी.डी. खाता बन्द करना

- (i) राजस्थान कोषागार नियम 2012 के नियम 98 के अनुसार गत 5 वित्तीय वर्ष में किसी पी.डी. खाते (ब्याज रहित) में कोई लेन देन नहीं होने पर खाता निष्क्रिय हो जावेगा तथा संबंधित कोषाधिकारी द्वारा कोषागार नियम 98 की पालना करते हुए ऐसे खाते की अवशेष राशि बजट मद 0075 विविध सामान्य सेवाएं 101- (अदावाकृत) में जमा की जाकर खाते को बन्द किया जावेगा तथा वित्त (मार्गोपाय) विभाग, निदेशक, कोष व लेखा एवं खाता धारक को सूचना दी जावेगी।
- (ii) पी.डी. खाता धारक (ब्याज रहित) द्वारा पी.डी. खाता बन्द करने के लिए मना करने पर संबंधित कोषालय द्वारा निदेशक, कोष व लेखा के माध्यम से वित्त (मार्गोपाय) विभाग को प्रकरण निर्णय हेतु प्रेषित किया जावेगा।
- (iii) पी.डी. खातों (ब्याज सहित) में 5 वर्ष तक कोई लेनदेन नहीं होने पर भी वह निष्क्रिय नहीं होगा। केवल विशेष परिस्थितियों में ही वित्त (मार्गोपाय) विभाग के निर्देश पर इसे बन्द किया जा सकेगा।

4. पी.डी. खाता (ब्याज सहित) की जमाओं पर ब्याज भुगतान

- (i) विभागो, संस्थाओं, निकायों एवं राजकीय उपक्रमों द्वारा अपने पी.डी. खाते (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित) के प्रतिवर्ष दिनांक 31 मार्च को रहे शेष का सत्यापन संबंधित कोषालय से करवाया जावेगा।
- (ii) पी.डी. खाता (ब्याज सहित) की जमाओं पर राज्य सरकार द्वारा ब्याज का भुगतान किया जावेगा जिसका आकलन संबंधित कोषालय द्वारा किया जाकर खाता धारक संस्था/विभाग के पी.डी. खाता (ब्याज रहित) में जमा किया जावेगा।
- (iii) पी.डी.खाता (ब्याज सहित) में प्रत्येक जमा के पृथक जमा मानकर उस पर पृथक से ब्याज आकलन किया जावेगा।
- (iv) पी.डी. खाते (ब्याज सहित) में राशि आहरण प्रथम जमा प्रथम आहरण (First in first out) के आधार पर किया जावेगा।
- (v) स्थानीय निकायों, स्वशासी संस्थाओं और राजकीय कम्पनियों इत्यादि की निजी निक्षेप (पी.डी) खातों में जमा राशि पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी

ब्याज दर से भुगतान किया जावेगा। तीन माह एवं उससे कम अवधि की जमाओं पर कोई ब्याज देय नहीं है।

- (vi) ब्याज सहित निजी निक्षेप खाते से ब्याज का भुगतान न किया जाकर उसे ब्याज रहित निजी निक्षेप खाते में वार्षिक रूप से हस्तान्तरित किया जावेगा। देय ब्याज की राशि स्थानान्तरित प्रविष्टि द्वारा बजट मद 2049 ब्याज अदायगी 60—अन्य दायित्वों पर ब्याज 101— जमा राशि पर ब्याज के अन्तर्गत विस्तृत संबंधित मदों में नामे (डेबिट) लिखकर संस्था के ब्याज रहित पी.डी. खाते में जमा की जावें।
- (vii) गैर अनुदानित निजी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अंशदायी प्रावधायी निधि की राशि हेतु संबंधित कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर पी.डी. खाता खोला जावेगा।
- (viii) वित्त (मार्गोपाय) विभाग द्वारा जी.पी.एफ. एवं अन्य समान फण्ड्स—सी.पी.एफ. पर ब्याज दर जो समय-समय पर निर्धारित की जाती है, के अनुसार जमाओं पर ब्याज भुगतान कोषालयों द्वारा किया जावेगा।

बैंक खाता खोलने के दिशा-निर्देश

इस विभाग के पत्रांक पं. 21(2) विमा/2010 दिनांक 07.01.2016 द्वारा बैंक खाता खोलने के दिशा-निर्देश प्रदान किये गये थे। इस संबंध में पुनः निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं:—

- (i) वित्त विभाग की पूर्वानुमति से ही बैंक खाते खोले जावें।
- (ii) यदि विभाग द्वारा वित्त विभाग की पूर्वानुमति के बिना बैंक खाता खोला गया है तथा उसका संचालन किया जाना अत्यावश्यक हो तो उसकी वैधानिक आवश्यकता/अनिवार्यता के संबंध में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किए जाकर कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जावें, अन्यथा उन खातों को तत्काल बन्द किया जावे।
- (iii) बैंक खातों का संचालन संयुक्त हस्ताक्षरों से ही किया जावें एवं विभागीय अधिकारियों के नाम के स्थान पर संस्था/परियोजना के नाम से बैंक खाते खुलवाए जावें।

१५

1. बैंक खाता खोले जाने की अनुमति हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित करने की प्रक्रिया

विभाग में किसी योजना का क्रियान्वयन बैंक खाते के द्वारा किया जाना अनिवार्य हो तो उस योजना हेतु खोले जाने वाले बैंक खाते की अनुमति हेतु प्रस्ताव वैधानिक आवश्यकता/अनिवार्यता के साथ निम्न सूचनाओं सहित वित्त विभाग को स्वीकृति हेतु भिजवाया जावे—

- (i) योजना का क्रियान्वयन यदि किसी संस्था द्वारा किया जाना है तो, उस संस्था की विधिक स्थिति (Legal Status) का पूर्ण विवरण (प्रमाणक की प्रति सहित)।
- (ii) उस संस्था के आय के स्रोत यथा भारत सरकार/राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान/अन्य स्रोत का पूर्ण विवरण।
- (iii) योजना के क्रियान्वयन हेतु बैंक खाते की अनिवार्यता हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार की गार्ड लाईन/दिशा निर्देशों की प्रति।
- (iv) योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त राशि को संबंधित राजस्व मद अथवा विभाग/संस्था के पी. डी. खाते के माध्यम से अथवा अन्य बैंक खाते में जमा करवा कर उस योजना का क्रियान्वयन किया जा सकता हो तो उसका परीक्षण विभाग/संस्था/कम्पनी में कार्यरत वित्तीय सलाहकार/वरिष्ठतम लेखाधिकारी से करवाकर उसकी टिप्पणी सहित भिजवाया जावेगा।
- (v) किसी योजना के क्रियान्वयन हेतु जिलेवार/ब्लॉकवार बैंक खाता खोला जाना आवश्यक हो तो वित्त विभाग की पूर्वानुमति से एक केन्द्रीयकृत बैंक खाता ही खोला जावे, जिसमें जिलेवार/ब्लॉकवार लिंक खातों के रूप में ही खोले जावे। इस संबंध में बैंको द्वारा आवश्यक सॉफ्टवेयर/मॉड्यूल/सिस्टम विकसित कराने की कार्यवाही करावे, ताकि विभाग/संस्था को वांछित आय-व्यय डाटा/लेजर आदि का विवरण बैंक से ही प्राप्त हो सके।

2. बैंक खातों में बन्द पड़ी योजनाओं के अवशेष राशि के संबंध में निर्देश


विभागों के पूर्व में खुले हुए बैंक खाते, जिनकी योजना का संचालन बन्द हो चुका हो, एवं उन योजनाओं की अवशेष राशि बैंक खातों में जमा हो तो, उन्हें तत्काल राजकोष में जमा कराया जावे तथा उसका पूर्व विवरण वित्त विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।



स. अन्य निर्देश

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण (विभाग) यह सुनिश्चित करेगा कि इस आदेश में अंतर्विष्ट इन अनुदेशों का संबंधित स्थानीय निकाय, स्वशासी संस्थाएं इत्यादि जिनके लेखों की विभाग द्वारा संपरीक्षा की जाती है, अनुसरण करें।

विभिन्न राजकीय विभागों, स्थानीयों निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और राजकीय कम्पनियों में कार्यरत वरिष्ठतम राज. लेखा के अधिकारियों द्वारा उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।



(मुकेश शर्मा)

अति. मुख्य सचिव (वित्त)

प्रतिलिपि निम्नांकित से सूचनार्थ एवं आवश्यकता कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधानमहालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त निजी सचिव मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/अन्यमंत्रीगण
6. शासन सचिवालय के समस्त नियम अनुभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. समस्त संबंधित संस्थायें, राजस्थान।
9. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, राजस्थान।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोकसेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।



(शरद मेहरा)

निदेशक, वित्त (बजट)